



## दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दीनदयाल/सम्बद्धता/2015/(23)/279

दिनांक 10/05/2015

प्रेषक,

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनीती, भाटपाररानी, देवरिया


विषय- रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनीती, भाटपाररानी, देवरिया को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय, धनीती, भाटपाररानी, देवरिया को एक यूनिट की प्रवेश क्षमता सहित 50 छात्रों की बी०एड० शैक्षिक सत्र 2015-16 में प्रवेश हेतु स्वतंत्रपोषित योजनावर्तगत विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु सरात सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. रिट याचिका संख्या 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सरात सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अगिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
5. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
6. महाविद्यालय द्वारा बी०एड० विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर शिक्षण कार्य कराया जायेगा एवं उन्हें बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आगामी शैक्षिक सत्र से सम्बद्धता प्रस्तावों के साथ उक्त से सम्बन्धित तमाम अगिलेख एवं प्रश्नगत पाठ्यक्रम में नियमानुसार प्रवेश होने, परीक्षाफल, नकलविहीन परीक्षा होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में एन०सी०टी०ई०/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से भरा जायेगा तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
8. संस्था एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक् रूप से पूर्ण करेगी तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगी तथा एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
9. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
10. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
11. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
12. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
13. संस्था स्वतंत्रपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
14. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


भवदीय,

  
कुलसचिव

पुष्पांकन संख्या: दीनदयाल/सम्बद्धता/2015/(23)/279...तददिनांक/10/05/15

प्रतिष्ठिति, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उपप्र, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप-कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

  
प्रबन्धक

रामचन्द्र उपाध्याय महाविद्यालय  
धनीती, भाटपार रानी-देवरिया (उ.प्र.)

कुलसचिव